संख्या– एम0एस0–24/आठ–1–2010–93डीए/10

प्रेषक,

अजय दीप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
3– अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2009**

विषयः **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की अपंजीकृत सम्पत्तियों के पंजीकरण की समीक्षा के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सूरज लैम्प एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित निर्णय के प्रकाश में अवैध अन्तरणों को रोकने की दृष्टि से शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि अपंजीकृत सम्पत्तियों के पंजीकरण की प्रतिमाह समीक्षा की जाय, जिससे अवैध अन्तरणों एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के दृष्टिगत कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गयें निम्नवत प्रारूप पर मासिक सूचना नियमित रूप से प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन विभाग को सीधे उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

क0 स0	संस्था का नाम	01 अप्रैल 2010 को आवंटित किन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों का संख्या	माह में आवंटित सम्पत्तियों की संख्या	कुल आवंटित परन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों की संख्या	अपंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प राजस्व	माह में पंजीकृत करायी गयी सम्पत्तियों की संख्या	पंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प राजस्व	अवशेष अपंजीकृत सम्पत्तियों की संख्या	अवशेष अपंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प शुल्क

भवदीय

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निदेशक आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करते हुये समस्त सम्बन्धितों को सूचित करें।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव